मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः16.11.2024

थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेमरा में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने तथा इलाज के दौरान मृत्यु के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार , अभियुक्तों के कब्जे से पीली व सफेद धातू के आभूषण , ₹ 57743 नगद, एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 08 अदद जिन्द कारतूस बरामद —

थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 09.11.2024 को वादी तेजबली सिंह पुत्र स्व0 विभूती सिंह निवासी सेमरा भूडकुडा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध घर में घुसकर आभूषण आदि की चोरी करने व वादी की पत्नी के साथ मारपीट करने तथा इलाज के दौरान मृत्यु के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-212/2024 धारा 309(6),105 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनंदन' द्वारा तत्समय घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी मड़िहान के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अहरौरा पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांकः 16.11.2024 को थाना अहरौरा, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम भुडकुड़ा के पास से घटना से सम्बन्धित मोटर साइकिल सवार 02 नफर अभियुक्त प्रांशू सिंह उर्फ प्रियांशु सिंह पुत्र रघुराई सिंह निवासी रानीपुर थाना चुनार मीरजापुर व चन्दन पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी सिरसी थाना अहरौरा मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को कब्जे से पीली व सफेद धातू के आभूषण, ₹ 57743 नगद, एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 08 अदद जिन्दा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल वाहन संख्या UP 63 AD 9811 बरामद किया गया। मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगो द्वारा योजना बद्ध तरीके से गीता देवी (मृतका) की पुत्री का डाक्यूमेन्ट मागने के बहाने घर में घुसकर गीता देवी को मारकर बेहोस कर आलमारी में रखे गहने व रूपये चोरी कर लिया गया था। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त प्रिंयाशु द्वारा बताया गया कि थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत ग्राम शिवराजपुर की एक लड़की के साथ मित्रता थी। लड़की की शादी के बाद भी मुझसे बातचीत करती थी। इसी क्रम में लड़की द्वारा मुझे धमका कर मुझ से पैसो की मांग करने लगी। जिससे मै परेशान होकर अपने दोस्त चन्दन के साथ मिलकर 01 फरवरी 2024 की रात करीब 10 बजे उसके घर के पीछे से दिवाल के रास्ते छत पर चढ गये तथा पैसे देने के बहाने छत पर बुलाकर दोनो लोग मिलकर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी थी तथा उसका मोवाइल व टैबलेट फोन लेकर साक्ष्य छुपाने के नियत से रामपुर के तालाब मे फेंक दिया था। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 38/2024 धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डीपीएक्ट थाना चुनार पर पंजीकृत है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. प्रांशू सिंह उर्फ प्रियांशु सिंह पुत्र रघुराई सिंह निवासी रानीपुर थाना चुनार मीरजापुर, उम्र करीब-27 वर्ष।

2.	चन्दन पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी सिरसी थाना अहरौरा मीरजापुर, उम्र करीब-26 वर्ष।
*पंजीकृत अभियोग * मु0अ0सं0-212/2024 धारा 309(6),105, 317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी —

02 अदद लाकेट, 02 अदद सिकड़ी, 03 अदद अगुठी, 01 जोड़ी कान का झूमका, कान का टप्स-01, 01 अदद नाक की कील (सभी पीली धातू के आभूषण)

22 अदद बिछिया , 08 जोड़ी पायल, 01 अदद कमर का छल्ला (सभी सफेद धातू आभूषण), चाभी का गुच्छा, 01 अदद माला (सफेद व काले दाने का) व 01 पैन ड्राइव।

₹ 57743 नगद बरामद, 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 08 अदद जिन्दा कारतूस एवं मोटस साइकिल संख्या – UP 63 AD 9811

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम भुडकुड़ा के पास से, आज दिनांकः 16.11.2024 को समय 08.50 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह थाना अहरौरा मय पुलिस टीम।

निरीक्षक राजीव सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।

उप-निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।